रांचिका स0–7 / बजट–46–21 / 2024 – 383 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **वित्त विभाग।**

पटना, दिनांक– 23/ 01 / 2025

विषयः– पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा में 100 शैय्या के नये अनुमंडलीय अस्पताल भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 29,99,34,500/– (रूपये उनतीस करोड़ निन्यानवे लाख चौंतीस हजार पाँच सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–3787, दिनांक–02.08.2024 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा में 100 शैय्या के नये अनुमंडलीय अस्पताल भवन के निर्माण हेतु कुल रू० 29,99,34,500/– (रूपये उनतीस करोड़ निन्यानवे लाख चौंतीस हजार पाँच सौ) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSICL) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।

(vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तद्क्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जब तक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पडी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेगे।

3– उक्त कार्य मांग संख्या–20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष– 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–02– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए, लघु शीर्ष- 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष– 0102–स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण–सात निश्चय–2, विपत्र कोड- 20-4210021030102, विषय शीर्ष–(53–01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

5– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना बी0टी0सी0 फार्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड- 00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------ मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

6– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

7– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561 वि0(2), दिनाक 17 04 98, 8543 वि0(2), दिनाक–27.11 2007 एव अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

8– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

9– प्रस्ताव मे विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनाक–19 12 2024 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापाक–301(7), दिनाक–19 12 2024 के क्रम सख्या–01 मे स्वीकृति प्राप्त है।

10– प्रस्ताव एव प्रारूप मे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

11– प्रस्ताव एव प्रारूप मे उप मुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है ।

13 सबंधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.1.25

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – 383 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक–23/01/2025

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/अधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव– सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.1.25

सरकार के अपर सचिव ।